①

वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्रता की शर्तों का विवरण

1- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य होगी।

2- शहरी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति अर्ह होंगे, जिनकी मासिक आय रु०1,000/- हो तथा ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति पेंशन के पात्र होंगे जो भूमिहीन हों अथवा उनके पास 3.25 (सवा तीन एकड़) तक भूमि हो।

3- पति/पत्नी में से केवल एक को ही पेंशन दी जायेगी तथा प्राथमिकता महिला सदस्यों को ही दी जायेगी।

4- वृद्धावस्था पेंशन के निराश्रित वह व्यक्ति है जिसकी आय का कोई साधन नहीं है तथा जिसका 20 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई पुत्र, पौत्र, पति/पत्नी नहीं है और यदि है तो आर्थिक विपन्नता में है या सहायता करने में असमर्थ है अथवा जीविकोपार्जन के लिये पूर्णतया अयोग्य है अथवा सात वर्ष से अधिक समय से लगातार लापता है या साधु अथवा फकीर हो गया है और उसने अपने परिवार से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया गया है।

5- निराश्रित होने की इस शर्त को इस सीमा तक शिथिल कर दिया जाये कि उसका लड़का या लड़के का लड़का (पौत्र) यदि स्वयं भरण-पोषण करने में असमर्थ है अथवा उसकी स्वयं की आय रु०1000/- प्रतिमाह या उससे कम है और ग्रामीण क्षेत्र में उसकी जोत सवा तीन एकड़ से कम है (अथवा भूमिहीन हो) तो ऐसे व्यक्ति भी वृद्धावस्था पेंशन के पात्र होंगे।

6- ऐसे व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के पात्र नहीं होंगे जिनके पुत्र राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार तथा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं की सेवा में श्रेणी-1, श्रेणी-2, श्रेणी-3 के पदों पर नियुक्त हैं।

7- भिखारी को वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

8- यदि किसी अन्य स्रोत से पेंशन मिल रही हो तो उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(एस० के० सक्सेना)

([illegible] श्रीवास्तव)
उप निदेशक/योजना अधिकारी